माननीय अशोक भान और पी.के. जैन, न्यायाधीशों के समक्ष

धरम पाल और अन्य,-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1994 का क्रमांक 3882.

5 सितंबर, 1995.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-नियमितीकरण-वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मे याचिकाकर्ताओं को आलसी और औसत से कम होने का आकलन किया- याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग नीति तैयार की-केवल उन कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण जिनका मूल्यांकन समग्र अच्छी श्रेणी में किया गया था-याचिकाकर्ता सेवा के दौरान अच्छी रिपोर्ट का दावा नहीं कर सकते हैं-यहां तक ए.सी.आर के खिलाफ दायर अपील खारिज-याचिकाकर्ता का मामला संस्थानों द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर नहीं आता है-नियुक्ति पत्र के संदर्भ में सेवाओं को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया है।
अभिनिर्धारित किया कि अनुदेशों की वैधता को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। इन निर्देशों के अनुसार, केवल उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता था जिन्हें समग्र रूप से अच्छी श्रेणी में आंका गया था और जिनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी। चूंकि याचिकाकर्ता समग्र रूप से अच्छी श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी सेवाएं निर्देशों के अनुसार नियमित नहीं हो सकती हैं। चूंकि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सका है, इसलिए उन्हें उनके नियुक्ति पत्र के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया है और इसमें कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

(पैरा 9)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं को नियमित करने के हकदार नहीं थे और याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया है।

(पैरा 10)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को किसी भी कदाचार या सजा के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का मूल्यांकन औसत श्रमिकों के रूप में किया गया था और अनुदेशों के अनुसार केवल उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता था जिन्हें समग्र रूप से अच्छी श्रेणी में रखा गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं का मामला निर्देशों में निर्धारित मापदंडों के भीतर विफल नहीं हुआ, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया और उनके नियुक्ति पत्र के संदर्भ में उन्हें समाप्त कर दिया गया।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता के वकील पी. एस. पटवालिया।
प्रतिवादी की ओर से वकील, जसवन्त सिंह।

<u>निर्णय</u>

अशोक भान, न्यायाधीश

(1) यह याचिका याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने वाले दिनांक 8 फरवरी, 1994 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है और उत्तरदाताओं को हरियाणा राज्य द्वारा तैयार की गई नीति (अनुलग्नक पी9 और पी10) के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश देने की भी मांग की।
(2) याचिकाकर्ता नं. 1 को रोजगार कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश पर 19 नवंबर, 1985 को तदर्थ आधार पर क्लस्टर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी तरह याचिकाकर्ता नं. 2 को रोजगार कार्यालय द्वारा की

गई सिफारिश पर 22 दिसंबर, 1988 को क्लस्टर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये दोनों याचिकाकर्ता 28 नवंबर, 1985 और 25 दिसंबर, 1988 को अपने-अपने कर्तव्यों में शामिल हुए। उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में, याचिकाकर्ताओं का मूल्यांकन 'औसत' श्रमिकों के रूप में किया गया था। याचिकाकर्ता नं. 1 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अनुलग्नक पी 3 (वास्तव में अनुलग्नक पी 3 में तीन दस्तावेज़ होते हैं - तीन वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि याचिकाकर्ता नं. 1 "अपने काम में रुचि नहीं लेता है।" याचिकाकर्ता नं. 2 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अनुलग्नक पी4 है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है "काम में आलसी", याचिकाकर्ता नं. 1 का मूल्यांकन 'औसत' कार्यकर्ता के रूप में किया गया है जबकि याचिकाकर्ता नं. 2 का मूल्यांकन औसत से कम के रूप में किया गया है।

(3) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन दायर किए थे जिन्हें क्रमशः जुलाई और अक्टूबर, 1992 में खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता नं. 1 ने वर्ष 1992 में इन सेवाओं के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था जिसे उसी वर्ष 1 मार्च, 1992 में अस्वीकार कर दिया गया था। । याचिकाकर्ता नं. 1 की सेवाओं को नियमित नहीं करने का कारण आदेश अनुलग्नक पी.7 में यह बताया गया है कि नीति के संदर्भ में उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि उनके काम का मूल्यांकन 'औसत' के रूप में किया गया था। याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गईं-दिनांक 8 फरवरी, 1994 के आदेश अनुलग्नक-पी8 के माध्यम से।

(4) हरियाणा राज्य ने नीति अनुलग्नक पी9 तैयार की है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि 31 दिसंबर 1990 को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने वाले उन वर्ग-द्वितीय तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के दायरे से बाहर निकालकर नियमित किया जाए। पॉलिसी अनुलग्नक पी9 का प्रासंगिक खंड (iv) जिस पर इस याचिका में विचार करने की आवश्यकता है, वह इस प्रकार है:-

(iv) कि ऐसे कर्मचारियों का कार्य और आचरण सभी अच्छी श्रेणी के ऊपर होगा और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है और

(v) xxx xxx

इसी प्रकार हरियाणा राज्य ने दिनांक 1 जून, 1992 को एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि 31 मार्च, 1993 को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने वाले उन वर्ग-द्वितीय तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के दायरे से बाहर निकालकर नियमित किया जाए। निर्देशों का खंड (iv) अनुलग्नक पी10 वही है जो अधिसूचना अनुलग्नक पी9 में है।

(5) याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवाओं को नियमित करने और समाप्ति अनुबंध पी 8 के आदेश को इस आधार पर दरकिनार करने का दावा किया है कि उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें गलत तरीके से 'औसत-कार्यकर्ता' के रूप में मूल्यांकन किया गया था; कि याचिकाकर्ता वास्तव में अच्छे कर्मचारी थे, और उन्हें समग्र रूप से अच्छी श्रेणी के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। यह तर्क परिसर में उठाया गया है कि याचिकाकर्ताओं का काम गाँव के स्तर पर एक छोटी डेयरी योजना को लागू करना था। योजना का विवरण यह है कि याचिकाकर्ताओं को सबसे पहले या तो सामान्य वर्ग से संबंधित व्यक्तियों का चयन करना था, जिनके पास न्यूनतम मैट्रिकुलेशन योग्यता थी या पिछड़े वर्ग / अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों, जिनके पास न्यूनतम मिडिल स्टैंडर्ड योग्यता थी और इन व्यक्तियों को 21 दिनों के लिए मिनी डेयरी कैसे शुरू करें के बारे में प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक को सिफारिश करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रपत्र और विवरण भरने थे। यदि ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया था तो यह याचिकाकर्ताओं का कर्तव्य था कि वे इन व्यक्तियों को भैंस खरीदने में मदद करें और किसी भी बीमारी के मामले में पशु की देखभाल करें और अंत में समय-समय पर एक खाता विवरण भी भेजें; कि याचिकाकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया था और इन बेरोजगार युवाओं के मामलों की सिफारिश राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण की मंजूरी के लिए की गई थी; कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ऋण नहीं दिए, जिसके कारण याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं को बिना किसी गलती के बहुत धीमा आंका गया क्योंकि बैंकों से स्वीकृत ऋण प्राप्त करना याचिकाकर्ताओं के हाथ में नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था, लेकिन वे बैंकों से स्वीकृत ऋण प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं कर सके; कि

याचिकाकर्ताओं को 'औसत' श्रमिकों के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था और उन्हें उनकी गलती के बिना पीड़ित नहीं किया जा सकता था।
(6) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी जिसके जवाब में लिखित बयान दायर किया गया है। दोनों पक्षों के वकील की सहमति से, इस याचिका का निपटान प्रस्ताव स्तर पर किया जा रहा है।
(7) दाखिल किए गए लिखित कथन में, प्रत्यर्थियों द्वारा लिया गया पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता अपनी नौकरी में रुचि नहीं ले रहे थे और वही उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज किया गया था; कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बावजूद अपने काम में सुधार नहीं किया कि उन्हें अपने काम में सुधार करने के लिए कहा गया था; कि याचिकाकर्ता विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूरा करने में विफल रहे; अनुलग्नक पी3 और पी4 में वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील वर्ष 1992 में खारिज कर दी गई थी; कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता है जिन्हें समग्र अच्छी श्रेणी का माना गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं का मूल्यांकन 'औसत' के रूप में किया गया था, इसलिए वे हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देशों के दायरे में नहीं आते थे और इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सकता था; उनकी सेवाओं को उनके नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया गया था।
(8) पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना गया है।
(9) अनुलग्नक पी9 और पी10 के निर्देशों की वैधता को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। इन निर्देशों के अनुसार, केवल उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता था जिन्हें समग्र रूप से अच्छी श्रेणी में रखा गया था और जिनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी। चूंकि याचिकाकर्ता समग्र रूप से अच्छी श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए निर्देशों के अनुसार उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सका। चूंकि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सका है, इसलिए उन्हें उनके नियुक्ति पत्र के संदर्भ में समाप्त कर दिया गया है और इसमें कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। इसके अलावा, ये निर्देश पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य 1994 (4) आर.एस.जे. 17. मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए आए, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः -

"उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ नियुक्ति थी और याचिकाकर्ता की सेवा में बने रहना उसके संतोषजनक कार्य और आचरण और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर निर्भर था। आम तौर पर नियमित नियुक्ति के लिए, याचिकाकर्ता को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चुना जाना आवश्यक था। हालांकि, हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के आलोक में, जो अनुलग्नक पी-8 और पी-10 में परिलक्षित होता है, उन्होंने एक तदर्थ नियुक्त व्यक्ति के रूप में सेवा में नियमितीकरण के लिए विचार करने की पात्रता प्राप्त की, जिन्होंने 31 दिसंबर, 1990 को और 31 मार्च, 1993 को भी दो साल की सेवा पूरी कर ली थी। तथापि, याचिकाकर्ता की सेवा का नियमितकरण अनुलग्नक पी-8 और पी-10 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर निर्भर था, जिनमें से एक को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् कर्मचारी समग्र रूप से अच्छी श्रेणी का होगा और उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। यदि याचिकाकर्ता को संभवतः एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो "ओवर ऑल गुड" की श्रेणी में आता है, तो वह निश्चित रूप से सेवा में नियमित होने का हकदार हो जाता। तथापि, वर्ष 1983-84 के अभिलेख से हम जो पाते हैं, याचिकाकर्ता को औसत से नीचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए उन्हें औसत से नीचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1989-90 के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस आशय का प्रतिकूल अंक लगाया गया है कि "उनकी लक्ष्य प्राप्ति कम है"। वर्ष 1990-91 के लिए उन्हें "कर्तव्य निर्वहन में गैरजिम्मेदाराना" बताया गया है। 31 दिसम्बर, 1990 को दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले किसी तदर्थ नियुक्त व्यक्ति की सेवा को नियमित करने के लिए उसकी 1989-90 तक की गोपनीय रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती थी। इसी प्रकार 31 मार्च, 1993 को दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले तदर्थ नियुक्ति के संबंध में वर्ष 1992-93 तक की गोपनीय रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई जा सकती थी। 28 फरवरी, 1991 की अधिसूचना के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने एक अन्य गोपनीय रिपोर्ट (वर्ष 1989-90) में तीन "औसत से कम" गोपनीय रिपोर्ट और प्रतिकूल टिप्पणियां अर्जित की थीं। दिनांक 1 जून, 1993 की अधिसूचना के संदर्भ में उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणियों(वर्ष 1990-91) के साथ एक और रिपोर्ट अर्जित की। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा

प्रदान की गई सेवा के बड़े हिस्से के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल रिपोर्ट अर्जित की है। इन प्रतिकूल प्रविष्टियों के सामने, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए एक बड़ा दावा किया है कि उसने अपने सेवा जीवन के दौरान अच्छी रिपोर्ट अर्जित की है और ऐसी रिपोर्टों के आधार पर उसने सेवा में नियमित होने का कानूनी और साथ ही संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया है। हमारी सुविचारित राय में, प्रत्यर्थियों ने कोई अवैधता नहीं की है और न ही उन्होंने याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का आदेश न देने में मनमाने ढंग से काम किया है। सक्षम विभागीय प्राधिकारी के पास एक अधिकार था और हम कहेंगे कि कर्तव्य था कि नियमित करने के लिए उसके मामले पर विचार करते समय याचिकाकर्ता के समग्र रिकॉर्ड को ध्यान में रखें। यदि याचिकाकर्ता के अभिलेख में प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित नहीं करने के एक प्रामाणिक निर्णय पर पहुंच गया है, तो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में कोई त्रुटि खोजना संभव नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि जब प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता को सेवा के नियमितीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया, तो उनके पास प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आलोक में उसकी सेवा को समाप्त करने का हर कानूनी औचित्य था, जो याचिकाकर्ता ने लगातार अर्जित किया था। "

(10) हम पवन कुमार के मामले (उपर्युक्त) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं को नियमित करने के हकदार नहीं थे और याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया है।

(11) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के काम का मूल्यांकन केवल 'औसत' होने के लिए किया गया था क्योंकि वे उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे थे; यह कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण स्वीकृत कराना याचिकाकर्ताओं की पहुंच में नहीं था और उन्हें केवल बेरोजगार युवाओं को एक मिनी डेयरी के बारे में शिक्षा प्रदान करनी थी जो उन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से किया था। इस रिट याचिका में हमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की रिकॉर्डिंग के बारे में निर्णय लेने के लिए नहीं कहा गया है। वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के खिलाफ दायर अपनी अपीलों को खारिज करने के संबंध में तथ्य का खुलासा नहीं किया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रिट याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है और इसे चुनौती नहीं दी गई है। यह उत्तरदाता हैं जिन्होंने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अनुलग्नक पी3 और पी4 की रिकॉर्डिंग के खिलाफ अपील को खारिज करने के संबंध में तथ्य सामने लाया है। याचिकाकर्ताओं को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर 'औसत' कार्यकर्ता की श्रेणी में रखा गया था। दोष के कॉलम में यह लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने काम में कम रुचि ली या वे आलसी थे। इस स्तर पर हम आकलन करने वाले प्राधिकारी के दिमाग में यह निष्कर्ष नहीं रख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं को 'औसत/औसत से कम' रिपोर्ट केवल इसलिए दी गई थी क्योंकि वे उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान में , यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे हैं, लेकिन दायर लिखित बयान मूल्यांकन प्राधिकारी के दिमाग को प्रतिबिंबित नहीं करता है जिसने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज की थी क्योंकि मूल्यांकन प्राधिकारी, लिखित बयान दाखिल करने वाले से भिन्न हो सकता है। चूंकि याचिकाकर्ताओं का मामला निर्देश अनुलग्नक पी9 और पी10 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उनकी सेवाओं को उचित रूप से नियमित नहीं किया गया है और उनके नियुक्ति पत्र के संदर्भ में उन्हें समाप्त करने का आदेश दिया गया है।

(12) जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1986 (2) एस.एल.आर. 278. मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर बिना जांच किए और सजा के रूप में समाप्ति का आदेश पारित करके याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। हमें इस प्रस्तुति में कोई सार नहीं मिलता है। जरनैल सिंह के मामले (ऊपर) में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने धन का गबन किया था और उनके खिलाफ कदाचार के गंभीर आरोप थे। इन परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दंड के रूप में था जिसे नियमित जांच के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को किसी भी कदाचार या सजा के आधार पर समाप्त नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का मूल्यांकन 'औसत' श्रमिकों के रूप में किया गया था और निर्देशों के अनुसार, केवल उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता था जिन्हें 'समग्र अच्छी श्रेणी'

में रखा गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं का मामला निर्देश अनुलग्नक पी9 और पी10 में निर्धारित मापदंडों के भीतर नहीं आता था, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया था और उनके नियुक्ति पत्र के संदर्भ में उन्हें समाप्त कर दिया गया था।

(13) ऊपर अभिलिखित कारणों से, हम आक्षेपित आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं और इस रिट याचिका को बिना किसी आदेश के खारिज कर देते हैं।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा